[19/12/2024]
परिशिष्ट "३५"

प्रश्न सं. [क. 1419]

मध्यप्रदेश नगरपालिका (नगरपालिका संपत्ति तथा निधि की प्रयुक्ति) नियम, 1965

(धारा 106 के अन्तर्गत)

(म.प्र. राजपत्र भाग 2 दिनांक 1-10-65 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 158-यू-अट्ठारह, दिनांक 30 जुलाई, 1965)

नियम

1. संक्षिप्त नाम -- ये नियम म.प्र. नगरपालिका (नगरपालिका सम्पत्ति तथा निधि की प्रयुक्ति) नियम, 1965 कहलायेंगे।

2. परिभाषा -- इन नियमों में ''अधिनियम'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) से है।

3. अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित विषयों के लिए व्यय -- परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित विषयों के लिए नगरपालिका निधि में से व्यय, जहां तक अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित न हो, परिषद् के ऐसे संकल्प द्वारा किया जायेगा जो पार्षदों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित किया गया हो :

परन्तु -- (क) जल तथा विद्युत शक्ति के प्रदाय, जल निकास कार्यों तथा दुग्ध या दुग्ध से निर्मित पदार्थों के प्रदाय, वितरण और प्राप्ति हेतु दुग्धालयों या फार्मों को स्थापित करने की दशा में राज्य शासन की पूर्व मंजूरी, और

(ख) अन्य विषयों की दशा में आयुक्त की पूर्व मन्जूरी प्राप्त की जायेगी :

परन्तु यह और भी कि नगरपालिकाओं की सीमाओं के बाहर धार्य छात्रवृत्तियाँ सुसज्जित करने की दशा में, परिषद् ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अतिरिक्त जो कि अधिनियम की धारा 358 के अधीन परिषद् द्वारा उस संबंध में बनाई गई उपविधियों में उल्लिखित की जाएं, व्यय नहीं करेगी :

परन्तु यह भी कि परिषद् द्वारा ऐसा कोई भी व्यय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि चालू बजट अनुदान में उसके व्यय का समावेश न हो गया हो।

4. नगरपालिका अग्निशामक दल का उपयोग -- अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन, नगरपालिका की सीमाओं के बाहर नगरपालिका अग्निशामक दल का उपयोग, कलेक्टर या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी या परिषद् के अध्यक्ष के आदेश द्वारा, इस शर्त पर किया जा सकेगा कि उन व्यक्तियों का प्राधिकरण, जिनके हितार्थ अग्निशामक दल का उपयोग किया जाय निम्नलिखित फीस या व्यय देय होंगे, अर्थात् --

(क) फीस और किराया व्यय, जैसा कि प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है।

(ख) अवमूल्यन व्यय जैसा कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है।

(ग) तृतीय अनुसूची के अनुसार पर्यवेक्षा कर्मचारी वर्ग से हित कर्मचारी वर्ग की मंजूरी और जिसमें पेन्शन, प्राव्हीडेन्ट फंड, अवकाश वेतन आदि के हेतु अंशदानों के भाग भी सम्मिलित होंगे।

(घ) उस हानि या क्षति के लिए अग्निशामक या कर्मचारी वर्ग को, उस समय हो जब वे कार्य पर लगे हुए हों, ऐसा प्रतिकार जो जिले के कलेक्टर द्वारा निश्चित किया जाय।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

imposed upon or accepted by the Council.

परिषद् पर वैध रूप से अधिरोपित की गई है या उसके द्वारा वैध रूप से प्रतिगृहीत की गई है ।

(3) A Council may, for the purpose of efficient discharge of any of the duties imposed upon it under clauses (d), (j) and (l) of Section 123, by a resolution passed in that behalf, earmark for each purpose a specified portion of its income every year for a specified number of years for being credited to a Fund called the Public Utility Schemes Fund. The amount so credited shall be expended for the purposes for which it has been earmarked.

(3) परिषद्, धारा 123 के खण्ड (घ), (ञ) तथा (ठ) के अधीन उस पर अधिरोपित किन्हीं भी कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के प्रयोजन के लिए उस संबंध में पारित किए गए संकल्प द्वारा प्रत्येक ऐसे प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष अपनी आय का एक विशिष्ट भाग विनिर्दिष्ट किए गए वर्षों तक एक निधि में, जो लोकोपयोगी स्कीम निधि कहलाएगी, जमा किए जाने के लिए अलग रखेगी। इस प्रकार जमा की गई रकम उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जाएगी जिनके लिए वह अलग रखी गई है ।

106. Application of Municipal property and Fund -- (1) All property vested in a Council under this Act, all funds received by it in accordance with the provisions of this Act, and all sums accruing to it under the provisions of any law for the time being in force shall, subject to the provisions of this Act, be applied for the purposes of this Act within the limits of the Municipality.

106. नगरपालिका की संपत्ति तथा निधि का उपयोजन -- उस समस्त संपत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन परिषद् में निहित की गई है, उन समस्त निधियों का, जो उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्राप्त हुई है तथा उन समस्त राशियों का, जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन उसे प्रोदभूत हुई है, उपयोजन इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(2) Notwithstanding anything contained in sub- section (1), it shall be lawful for a Council, subject to rules framed under this Act-

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के अध्यधीन रहते हुए परिषद् के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह -

(a) to incur expenditure beyond the Municipal limits on the acquisition of land or on the construction, maintenance or repair of works, for the purpose of obtaining a supply of water required for the inhabitants of the Municipality or

(क) भूमि के अर्जन में या नगरपालिका के निवासियों के लिए अपेक्षित जल-प्रदाय अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए संकर्मों के निर्माण, अनुरक्षण या उनकी मरम्मत में या उक्त नगरपालिका के निवासियों के उपयोग के लिए विद्युत उर्जा के प्रदाय की

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
विकास एवं पर्यावरण वि

on providing the supply of electrical energy for the use of the inhabitants of the said Municipality or on establishing slaughter-houses or places for the disposal of night-soil or sewage or carcasses of animals or for the drainage works, or for the purpose of providing mechanically propelled transport facilities for the conveyance of the public, for the purpose of setting up of the dairies or farms for the supply, distribution and procuring of milk or milk products for the benefit of the inhabitants of the Municipalities or for any other purpose calculated to promote the health, safety or convenience of the inhabitants of the said Municipality; or

(b) to make a contribution towards expenditure incurred by any other local authority or out of any public fund for measures affecting the health, instruction, safety or convenience of public calculated to benefit the residents within the limits of the contributing Municipality; or

(c) to create scholarship tenable outside the limits of the Municipality; or

(d) to utilize the Municipal fire brigade and other mechanical appliance beyond the Municipal limits; or

(e) to make with previous sanction of the State Government, any other kind of contribution as may be deemed necessary by the Council:

Provided that nothing in this section or in any other provision of this

व्यवस्था करने में या वधशालाएँ स्थापित करने में या विष्ठा या मलमूत्र या जीव-जन्तुओं के पिंजर के व्ययन के लिए स्थान स्थापित करने में या जल विकास के या जनता के प्रवहण हेतु यंत्र चालित परिवहन-सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए या नगरपालिका के निवासियों की प्रसुविधा के लिए दुग्ध या दुग्ध उत्पादों के प्रदाय, वितरण और उन्हें उपाप्त करने हेतु डेरियों या फार्मों की स्थापना करने के प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जिससे उक्त नगरपालिका के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधाओं मे अभिवृद्धि होने की संम्भावना हो, नगरपालिका की सीमाओं के परे, व्यय उपगत करे; या

(ख) किसी ऐसे व्यय के मद्धे अंशदान करे, जो किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी सार्वजनिक निधि में से ऐसे अध्युपायों के लिए उपगत है जो जनता के स्वास्थ्य, शिक्षण, सुरक्षा या सुविधाओं को प्रभावित करने वाले हैं तथा जो अंशदायी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर रहने वाले निवासियों की प्रसुविधा हेतु प्रकल्पित है; या

(ग) नगर पालिका की सीमाओं के बाहर मान्य छात्रवृत्तियों का सृजन करे; या

(घ) नगरपालिका की सीमाओं के बाहर नगरपालिका के अग्निशामक दल तथा अन्य यांत्रिक साधित्रों का उपयोग करें; या

(ङ) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से कोई भी ऐसा अन्य प्रकार का अंशदान करें जिसे परिषद् द्वारा आवश्यक समझा जाए।

परन्तु इस धारा की या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध की किसी भी बात के संबंध

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग